

कार्यालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर (राज.)

क्रमांक: 207

दिनांक-26.02.2026

रिमाण्ड ड्यूटी बाबत संशोधित कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के संशोधित रिमाण्ड ड्यूटी आदेश क्रमांक 42 दिनांक 17.01.2026 द्वारा माह फरवरी 2026 में अवकाशों के दिन सीकर जिले की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात में जमानत, रिमाण्ड, मृत्युकालिक कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य की सुनवाई हेतु न्यायिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, प्रशासनिक कारणों से पूर्व आदेश क्रमांक 42 दिनांक 17.01.2026 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री हिमांशु कुमावत, न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर के स्थान पर निम्न अधिकारी की निम्न प्रकार से ड्यूटी लगाई जाती है:-

क्र.सं.	नाम न्यायिक अधिकारी	पदनाम	अवकाश दिनांक
1	2	3	4
1.	श्री प्रशांत पूनिया	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-02, सीकर	27 फरवरी 2026

नोट:-शेष रिमाण्ड ड्यूटी के संबंध में कार्यालय आदेश संख्या 42 दिनांक 17.01.2026 यथावत रहेगा।

(विकास कुमार स्वामी)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सीकर (राज.)

क्रमांक- 208-217

दिनांक-26.02.2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है-

- माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, सीकर,
- श्रीमान् सचिव महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर,
- सम्बन्धित अधिकारी सर्व श्री प्रशांत पूनिया/श्री हिमांशु कुमावत
- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, सीकर वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र,
- उप-निदेशक, अभियोजन विभाग, सीकर,
- लोक अभियोजक, जिला न्यायालय, सीकर,
- प्रोटोकॉल अधिकारी, जिला न्यायालय, सीकर,
- अध्यक्ष/सचिव बार एसोसिएशन, न्यायालय परिसर सीकर,
- प्रभारी अधिकारी, पुलिस कंट्रोल रूम, सीकर,
- जिला कारागृह, सीकर,
- सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय सीकर सभी पीठासीन अधिकारियों एवं न्यायालयों को मेल करें तथा जिला न्यायालय सीकर की वेबसाइट पर इस आदेश को अपलोड करें।
- आदेश पत्रावली/नोटिस बोर्ड।

(विकास कुमार स्वामी)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सीकर (राज.)